SHR RAN GA[illegible] you [illegible] Shri D. N. Patodia not to make any reference to it, but you allowed the hon. Minister to make reference to it.

Mr. SPEAKER: Whenever the hon. Minister finds that the question is not relevant, he may invite my attention to it, and not pronounce on it himself.

SHRI D.R. CHAVAN: I have to invite your attention to it when the question is irrelevant. The second part of the question is relevant, and, therefore, it is my duty to bring it to the notice of the Chair. The second part of the hon. Member's question is whether in view of the lesser consumption of fertilisers, the targets have been revised. For the information of the House, I may say that originally when the targets were fixed, the total installed capacity that was proposed to be put up was 5·1 million tonnes, but now it has been brought down to 3·7 million tonnes. That is the revision that has been made.

SHRI D. N. PATODIA: This is also irrelevant.

Mr. SPEAKER: The hon. Member is also deciding the irrelevancy himself.

SHORT NOTICE QUESTION

अमरपुर दियारा गांव, थाना बक्सर (बिहार) में संघर्ष

+

S.N.Q. 4 **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री मोलहू प्रसाद :

श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा के सीमांकन के कारण अमरपुर दियारा गांव, थाना बक्सर, जिला आरा (बिहार) जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की सीमा पर स्थित है, एक संघर्ष हो गया था जिस के परिणामस्वरूप कुछ हरिजन और पिछड़े [illegible] मारे गये;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार मृत व्यक्तियों के परिवारों को कुछ प्रतिकर देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) त्रिवेदी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और उनके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). प्राप्त सूचना के अनुसार अमरपुर दियारा के काश्तकार, हाल के भूमि सर्वेक्षण के दौरान बटाईदार माने गये । यह भूमि पिछली फसलों से ही इनके कब्जे में थी जिस पर ये काश्त करते थे और जमींदार लोग उन्हें मुकदमों द्वारा बेदखल करने हेतु विफल प्रयत्न कर रहे थे। बताया जाता है कि नरही, जिला बलिया के जमींदारों द्वारा संगठित एक दल ने इन काश्तकारों के ऊपर हमला किया जिसमें 10 व्यक्ति मारे गये और 12 व्यक्ति घायल हुए; एक घायल व्यक्ति की मृत्यु बाद में अस्पताल में हुई । मरे व्यक्तियों में से कोई भी हरिजन नहीं बताया जाता है ।

एक फौजदारी मुक़दमा दायर कर लिया गया है और 23 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं । बिहार सरकार से प्राप्त मांग पर, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 16 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । कानून व व्यवस्था कायम रखने के लिए तथा पुन: झगड़ा होने से रोकने के लिए एक मजिस्ट्रेट सहित प्रयाप्त पुलिस अमरपुर दियारा भेजे गये ।

(ग) राज्य सरकार से नवीनतम वस्तु-स्थिति मालूम की जा रही है ।

(घ) त्रिवेदी आयोग की सिफारिशों को, जो बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 में सम्मिलित हैं, कार्या-

न्वित करने के लिए अग्रेतर कार्यवाही रुकी पड़ी है क्योंकि पटना उच्च न्यायालय में कुछ लेख्य याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, वहां पर त्रिवेदी आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ पत्थर लगने वाले थे, कुछ पत्थर लगा भी दिये गये थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें उखाड़ लिया। मैं जानना चाहता हूं कि त्रिवेदी आयोग के अनुसार जो पत्थर वहां लगने वाले थे, वे लगे या नहीं लगे, यदि नहीं लगे तो उस का क्या कारण है? जो पत्थर वहां लग गये थे और जिनको लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया, उन के खिलाफ़ क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री विद्या चरण शुक्ल : पत्थर लगाने के काम में हम ने सवयर जेनरल आफ इण्डिया के लोगों को भी शामिल किया था, जिससे कि ठीक से सर्वे हो कर वहां पत्थर लगा दिये जाएं। सर्वेयर जैनरल आफ़ इण्डिया ने अपना काम पूरा कर दिया था और वे स्थान निर्धारित कर दिये थे, जहां पत्थर लगा दिये जाने चाहियें। घाघरा सैक्टर में पत्थर लगाने का काम पूरा हो गया है। गंगा सैक्टर में अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जहां पत्थर लगने वाले थे, पानी में हैं। जैसा मैंने मूल उत्तर में बताया है कि कई ऐसे स्थान हैं जहां पत्थर लगने के पहले ही वहां के निवासियों ने पटना हाई कोर्ट में रिट-पैटीशन दायर कर दी है, जिस के कारण वहां का काम आगे के लिये रुक गया है। हम स्वयं इस बात के लिये उत्सुक हैं कि यह पुराने झगड़े का जो इलाका है, इसे जल्द से जल्द इस अधिनियम के अनुसार, जिसे हमने यहां पारित किया है, पूरा कर दें, जिससे कि आगे के लिये झगड़ा पूरी तरह से बन्द हो सके।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : अमरदियारा की ज़मीन का जो झगड़ा है, इस में 5 हज़ार एकड़ जमीन ऐसी है, जो नो-मैन्ज़-लैंड है। वहां का गांव समाज और वहां की सरकार यह चाहती है कि उस के ट्रांस्फर के पहले ही उस का बन्दोबस्त कर दें। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वहां के गांव समाज को ज़मीन के ट्रांस्फर से पहले ही उस का बन्दोबस्त करने से रोकने के लिये उन पर प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करेंगीं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह तो पार्लियामेन्ट के द्वारा जो कानून पास हुआ है, उस में निहित है कि कौन सी ज़मीन कहां है। इस के ट्रांस्फर के लिये 1 अक्तूबर की तारीख तय हुई थी, लेकिन उस तारीख से पहले रिट-पैटीशन फाइल हो जाने के कारण उस का जो फिज़ीकल ट्रांस्फर होना था वह नहीं हो पाया। इस लिये इस सिलसिले में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकारों का भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। त्रिवेदी आयोग के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश के लिये जो जो ज़मीन निर्धारित की गई है, उस में अब किसी तरह का कोई झगड़ा हमारे यहां नहीं होना चाहिये। जो ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से में आयेगी, उस में सैटिलमैन्ट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होगा, परन्तु यदि कुछ पुराने अधिकार उन्हें बिहार के टेनैन्सी राइट के अनुसार मिले हुए हैं तो उस के बारे में कानून में भी प्रावधान किया गया है। इस लिये जो प्रश्न उठा है, उस की तरफ़ हमारा पूरा ध्यान है।

श्री मोलहू प्रसाद : यह सरकार हर मामले को उलझा रही है, जैसे चण्डीगढ़ का मामला, महाराष्ट्र-मैसूर का मामला, वैसा ही झगड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में शुरू करने वाले हैं। आप कहते हैं कि त्रिवेदी आयोग के खिलाफ़ पटना उच्च न्यायालय में रिट दाखिल हो गई है, इस लिये उस को लागू करने में दिक्कत हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि पटना उच्च न्यायालय में रिट किस दिन दाखिल की गई और भारत सरकार उस के सम्बंध में अपनी तरफ़ से क्या कार्यवाही कर रही है? जिन लोगों ने यह हमला किया है, जिस संगठित दल ने यह काम किया है, उस के कौन-कौन लोग गिरफ्तार किये गये हैं, उन के नाम बतलाइये। अध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर हर साल कत्ल और बलवे होतें हैं, क्योंकि ज़मीन का निर्धारण नहीं हो पाता है । जिस तरह से हिन्दुस्तान-पाकिस्तान, चीन-हिन्दुस्तान का सीमा विवाद है, उसी तरह से राज्यों के अन्दर भी सीमा निर्धारित नहीं हो पाती है । जब नदी में कटाव होता है तो जो ज़मीन नदी के उस पार चली जाती है, नदी के इस पार के लोग उस की मालगुजारी देते हैं और उस पार के लोग उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं—इसी कारण से विवाद होता है । इस सम्बन्ध में जो गिरफ्तारियां की गई हैं, उन के नाम क्या हैं ? जो नवीनतम जानकारी आप प्राप्त करने जा रहे हैं—वह कब तक प्राप्त कर लेंगे? त्रिवेदी आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में पटना उच्च न्यायालय में जो रिट दाखिल है उस के सम्बन्ध में पैरवी कर के उस निर्णय को लागू करने में अभी कितना समय लगावेंगे?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने बड़े अजीब दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा है । यह झगड़ा भारत सरकार के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा पैदा होने वाला नहीं है ।

श्री मोलहू प्रसाद : दो राज्यों के बीच में केन्द्रीय सरकार निर्णायक होती है····

श्री विद्या चरण शुक्ल : ये झगड़े व्यक्तिगत कारणों से या नदी के थोड़ा इधर या उधर होने से होते हैं । इस को दूर करने के लिये ही आयोग की स्थापना की गई थी । आयोग की राय को दोनों सरकारों के परामर्श से हम लोगों ने स्वीकार किया और उस के आधार पर संसद के द्वारा कानून पारित हुआ, उस को लागू करने में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, इस के सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं है । जिन लोगों ने रिट पैटीशन दाखिल की है वह 1 अक्तूबर से पहले दाखिल की है । किस दिन दाखिल की थी, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, परन्तु 1 अक्तूबर को जब ज़मीन का ट्रांस्फर होना था, उस को रोकने के लिये ही उन्होंने रिट दाखिल की । जो लोग पकड़े गये हैं, उन के नाम मेरे पास मौजूद नहीं है, पर इस की पूरी कार्यवाही सन्तोषजनक रूप से राज्य सरकारों के द्वारा की गई है ।

श्री मोलहू प्रसाद : मैं जानना चाहता हूं कि नवीनतम जानकारी आप कब तक प्राप्त कर लेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जल्द-से-जल्द मंगाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री नाथूराम अहिरवार : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 10 हरिजनों की मौत हुई है·····

श्री विद्या चरण शुक्ल : उन में हरिजन एक भी नहीं है ।

श्री नाथूराम अहिरवार : जिन लोगों की मौतें हुई हैं, क्या उन के परिवार वालों को सरकार की तरफ़ से कोई आर्थिक सहायता दी गई है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : उस के बारे में मैंने कहा है कि राज्य सरकारों से जानकारी ले कर देंगे ।

श्री सरजू पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, यह घटना पहली नहीं है—ज़मीदारों ने हमला किया है, 11 आदमियों को मारा है । इस से पहले भी उन काश्तकारों पर हमला कर के उन की 22 भैंसे छीन लीं और उन पर कब्ज़ा किया हुआ है । गांव में टैन्शन फैला हुआ है, किसी भी समय वे उन पर हमला कर के उन को मार सकते हैं । वहां के काश्तकार बाज़ार में नहीं निकल सकते हैं और वहां की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है । क्या सरकार को मालूम है कि अभी भी एक आदमी की सारी खेती जो नरही गांव का है, वहां के ज़मीदार ने छीन ली है और उस आदमी को उस गांव से जाना पड़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार वहां के काश्तकारों को प्रोटेक्ट करने के लिये कोई सख्त कदम उठाना चाहती है या नहीं? ये कहते हैं कि 32 आदमियों पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन वहां के सारे

ज़मीदार गांव में खुलेआम घूमते फिर रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन-सा कदम उठाना चाहते हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: जैसा मैंने मूल उत्तर में कहा कि विशेष पुलिस के साथ एक मैजिस्ट्रेट को वहां पर भेजा है जो कि वहां पर रहकर पूरी तरह से इस बात को देखेगा कि किसी तरह का कोई झगड़ा न हो सके। माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल उठाया है वह हम राज्य सरकार के ध्यान में ला देंगे।

श्री क० ना० तिवारी: बिहार के टेनेन्ट्स ने पटना हाई कोर्ट में रिट पैटिशन दी हुई है। क्या यह सही है कि जो जमीन पुश्त दर पुश्त चली आती थी जैसे वह जमीन जोकि आरा डिस्ट्रिक्ट और बलिया के बीच में पड़ी हुई है, वहां पर यू० पी० की एथारिटीज़ ने किसानों को बेदखल कर दिया है और आज वे लोग भूखों मर रहे हैं ? और इसी को लेकर यह झगड़ा है। बिहार के जो काश्तकार हैं, बावजूद सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कहने के, यू० पी० के आफिसर्स उन लोगों की जमीनों का बन्दोबस्त नहीं कर रहे हैं और यू० पी० के लोगों के साथ उनके बन्दोबस्त किए जा रहे हैं। इसी वजह से यह झगड़ा बढ़ रहा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक हमारी सूचना है, इस तरह की बात हमारे ध्यान में नहीं आई है। सवाल यह है कि जो सीमा का निर्धारण हुआ है उस सीमा के अन्तर्गत जो भाग बिहार गया है वहां पर यू० पी० का टिनेंन्सी लॉ जो है वह जारी है और जो बिहार के लोग काम करते थे उन्हीं को काम करने का अधिकार दिया गया था। जो उत्तर प्रदेश की जमीन है जो कि नदियों के बहाव के कारण बिहार या उत्तर प्रदेश में चली आती हैं वहां पर जो सेटिलमेन्ट हो चुका है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमें दोनों राज्य सरकारों का काफी सहयोग मिल रहा है। यह तो पट्टेदार और जमीदारों के बीच झगड़ा हुआ है जिसको रोकने के लिए हमने इन्तजाम किया है।

श्री जनेश्वर मिश्र : यह स्वाभाविक है कि जब दो राज्यों में सरहद का कोई विवाद उठ गया तो वहां की राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य के स्वार्थ को देखकर निर्णय लेंगी और कदम उठायेंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस, जब कभी इस तरह का झगड़ा, मार-पीट या कत्ल होता है, तो अपने-अपने राज्यों के लोगों का पक्ष लेती हैं। तो क्या मैं गृह मंत्री से जान सकता हूं कि जब इस तरह का विवाद वहां पर है केन्द्रीय सरकार वहां पर बार्डर सेक्योरिटी फोर्स या केन्द्र की कोई दूसरी पुलिस तब तक के लिए वहां पर खेगी जब तक कि यह विवाद चलता रहता है?

श्री विद्या चरण शुक्ल: यदि आवश्यकता होगी तो यह भी करने के लिए तैयार हैं लेकिन वहां पर स्थिति ऐसी नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की पुलिस भेजी जाये। माननीय सदस्य को यह भी मालूम होगा कि केन्द्रीय सरकार की पुलिस भी अगर जायेगी तो वह प्रान्तीय पुलिस के अन्तर्गत ही काम करेगी। जो कानून है वह इसी तरह का है। (**व्यवधान**) .... उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत वहां की पुलिस के ऊपर जा करके केन्द्रीय पुलिस काम कर सके। हमारी तरफ से राज्य सरकार ने जो इन्तजाम किया है, उससे हमें संतोष है। यदि और आवश्यकता पड़ेगी तो और अधिक इन्तजाम करने के लिए हम लिखेंगे।

SHRI S. M. BANERJEE : In reply to a previous question the hon. Home Minister replied that he would have a discussion with the Chief Ministers of Bihar and U. P. I should like to know the reaction of both the Chief Ministers– of course there is no Chief Minister in Bihar now—or both the Governments on the report of the Trivedi Commission. In the event of a dispute what will be the attitude of the Central Government.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : This report was discussed not only

with the Chief Ministers of the respective State Governments but this was also discussed in the U. P. and the Bihar Vidhan Sabhas. The U. P. Vidhan Sabha passed a resolution endorsing the report but the Bihar Vidhan Sabha discussed it without passing any resolution. We went through the proceedings and we brought up the matter here and enacted a law by which certain lands had been transferred from Bihar to U.P. and from U.P. to Bihar. The area had also been demarcated on the map. But the actual physical demarcation has been done by the Surveyor-General of India. The points for demarcation pillars have been fixed in most of the sectors; particularly in the Ghagra sector pillars have been fixed. In the Ganga sector a few pillars have to be left out, firstly because of the submersion of those places where the pillars have to be fixed by the current of the Ganga river, and secondly, because there is a writ petition in the Patna High Court. Because of this, no further demarcation could be made in that particular area where the pillars are to be fixed. As soon as this petition is disposed of, we propose to take up the matter again with the State Governments and have the matter decided.

श्री राम सेवक यादव: यह जो जमीन का झगड़ा है यह सीमा का विवाद नहीं बल्कि झगड़ा यह है कि वास्तव में जो जमीन जोते हुए हैं उन लोगों के बीच में लोग अपने को जमीन का मालिक बताते हैं। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि बिहार में अनाज के ऊपर जो किसानों को जमीन दी जाती है, जिस प्रथा के कारण झगड़ा हुआ है उसको दूर करने के लिए, जबकि आज बिहार में केन्द्र का ही शासन है, क्या कार्यवाही की गई है? दूसरे यह कि जब वहां उस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, पहले से ही उसकी जानकारी थी, तो पहले से ही एहतियाती कार्यवाही क्यों नहीं की गई जबकि उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर थी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य इस बात को ठीक से जानते हैं कि यह जो झगड़ा है इसका मुख्य रूप से कारण यही है कि जमीन कभी उत्तर प्रदेश में चली जाती है और कभी बिहार में चली जाती है। इसके कारण जो लोग वहां पर काम करते हैं वे एक दूसरे से विरोधी अपने क्लेम प्रस्तुत करते हैं कि यह जमीन हमारी है। इसलिए वहां पर पुलिस का इन्तजाम बहुत पहले से किया गया है लेकिन हर स्थान पर पुलिस का ऐसा इन्तजाम नहीं है कि उनको रोका जा सके। इसलिए अब ऐसा इन्तजाम किया गया है जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया कि स्पेशल पुलिस-टुकड़ी भेजी गई है और मैजिस्ट्रेट भेजा गया है। जहां तक एहतियाती कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, यदि पहले से राज्य सरकारों के पास इस तरह की सूचना होती तो अवश्य उसका इन्तजाम किया जाता। इसका मतलब यही है कि उनको इस बात की सूचना नहीं थी कि इस प्रकार की दुर्घटना होने की सम्भावना है नहीं तो एहतियाती कार्यवाही अवश्य की जाती।

MR. SPEAKER : Shri Hem Barua. I am giving preference to hon. Members from Bihar and Uttar Pradesh, but you also seem to desire -

SHRI HEM BARUA: Sir, India is one. In view of the fact that border disputes have vitiated the relations between Indian States, especially the border dispute that has arisen between Assam and Nagaland also, may I know whether Government propose to appoint a permanent tribunal as adumbrated by the National Integration Council for the settlement of these border disputes?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, this is a very complicated question. I can not deal with this during the Question Hour.

MR. SPEAKER: You know it comes from Mr. Hem Barua!

SHRI HEM BARUA: How can it be complicated, Sir ? Border disputes are complicated. I know. But the National Integration Council has suggested a permanent tribunal for the solution of these border disputes. He does not know anything about it?

MR. SPEAKER: I am very sorry. Shri Yogendra Sharma.

श्री योगेन्द्र शर्मा : बिहार विधान सभा ने त्रिवेदी कमीशन की रिपोर्ट के प्रति अपनी सहमति प्रकट नहीं की थी लेकिन उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने अपनी सहमति प्रकट की है । बिहार विधान सभा ने जो असहमति प्रकट की, बाजाब्ता प्रस्ताव नहीं था लेकिन बिहार के आम लोग, उमरपुर डेहरी के लोग उत्तर प्रदेश के इलाके में जाने के खिलाफ हैं । इसलिए खिलाफ हैं कि त्रिवेदी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह झगड़ा हमेशा होता रहेगा । परम्परागत चीज यह थी कि गंगा की धारा का जो मध्य हिस्सा है वही उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा समझा जाता था । वह धारा बदलती रहती है । यदि कोई हिस्सा गंगा के दक्षिण चला जाये तो वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए शासन करना बहुत ही मुश्किल होगा, वहां पर हमेशा अव्यवस्था कायम रहेगी और किसानों की इस तरह से हत्यायें होती रहेंगी । इसलिए पुरानी परम्परागत व्यवस्था को वहां पर फिर से स्थापित किया जाये तभी ला ऐन्ड आर्डर कायम रह सकता है । और इस तरह जो किसानों की हत्याएं हुई उन हत्याओं से किसानों का बचाव हो सकता है ।

MR SPEAKER: It is a suggestion for action; not a supplementary.

श्री विद्या चरण शुक्ल: अध्यक्ष महोदय, यह काम हम कर रहे हैं । उन्होंने यह कहा है कि यद्यपि आप ठीक कर रहे हैं मैं बतलाना चाहता था कि जो उन का सुझाव है हम कर रहे हैं । वहां पर चाहे जो जमीन उत्तर प्रदेश की हो वह बिहार में चली जाय और बिहार की उत्तर प्रदेश में चली जाय जो परम्परागत कानून वहां चलते थे जिसके कि अनुसार वहां यह डिमार्केशन ऑफ़ बाउंडरी का काम हो रहा था और उसी को हम क़ायम रखना चाहते हैं । उस का प्राविधान हम ने क़ानून में भी किया है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा: उस को आप रखना चाहते हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी हां ।

श्री शिवपूजन शास्त्री : मैं माननीय मंत्री से दो बातों की जानकारी चाहता हूं । यह घटना 23 अक्तूबर की है । दोपहर को दिन में कई किसान खेत जोत रहे थे कि कुछ जमींदार गंगा पार कर आये और उन किसानों को क़त्ल कर दिया । 11 में से 9 की लाशें काट कर गंगा में फैंक दी गई जिनका कि आज तक पता नहीं लगा है । उस में जो मारे गये हैं एक आदमी नरही बस्ती का है, उस का घर नरही बस्ती में है । उस के मकान और ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया है । उस के परिवार को नरही से भगा दिया गया है । क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है ?

गंगा की वहां दो धाराएं हैं । यह जो त्रिवेदी ऐवार्ड है उस ने फैसला दिया है कि गंगा की मुख्य धारा ही सीमा होगी। गौण धार के बाद यह ज़मीनें हैं । उस के हिसाब से भी इस ज़िले में हैं और उन का सर्वे भी हो चुका है। क़रीब 10,000 एकड़ ज़मीन को यह ज़बरदस्ती दखल करने की कोशिश हो रही है । चूंकि बिहार सरकार के दो सलाहकारों में से एक सलाहकार इन ज़मींदार लोगों के रिश्तेदार हैं इसलिए इस ऐवार्ड में ग़लती से इन ज़मीनों को बलिया में दिखाया गया है और असली हत्यारों को पकड़ा भी नहीं जा रहा है ? क्या मंत्री महोदय की जानकारी में यह भी बात आई है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जिस तरीके से विस्तार में वह सूचना दी है वह राज्य सरकारों के पास अवश्य होगी । बाक़ी जो उन्होंने यह कहा कि त्रिवेदी आयोग की जो सिफारिशें थीं उस में ग़लती से कुछ काम किया गया है तो माननीय सदस्य अब जो ग़लती बतला रहे हैं तो वह देर की बात है । क़ानून द्वारा उसे लोक सभा ने भी पारित कर दिया है और जो भी बात है वह क़ानून के

द्वारा ही वहां लागू की गई है और इसलिए उस में अब फेरबदल करना ठीक नहीं होगा ।

माननीय सदस्य ने यह ऐडवाइज़र के ऊपर जो आरोप लगाया है मैं नहीं समझता कि इस तरह का आरोप उन माननीय सदस्य के लिए लगाना ठीक है । उन का आरोप ग़लत है और उसे उन्हें नहीं लगाना चाहिए था ।

श्री लखन लाल कपूर: यह जो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच उस जमीन के टुकड़े को लेकर सीमा सम्बन्धी झगड़ा है उस झगड़े को रोकने के लिए क्या भारत सरकार जमीन के उस हिस्से को नोमैन लैंड बनाने का विचार कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ऐसी कोई बात करने का इरादा नहीं है ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Discussions with Punjab and Haryana Governments for utilisation of Surplus water

*722. SHRI RAM KISHAN GUPTA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 179 on the 28th July, 1969 and state:

(a) whether Government have discussed the matter regarding the utilisation of surplus water likely to be available to India on the expiry of the Canal Water agreement with Pakistan with Punjab and Haryana Governments; and

(b) if so, the result of talks held?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) and (b). The Union Minister for Irrigation and Power discussed the matter with the Chief Minister of Punjab on 8-8-1969 who intimated that the Irrigation and Power Ministers of Punjab and Haryana Governments were due to meet on 18-8-1969 to discuss the issue between themselves. Subsequently the matter was discussed with the Chief Minister of Haryana at Delhi on 19-11-1969 when he stated that he and the Chief Minister of Punjab had met to discuss the issue but no decision could be arrived at. Meanwhile, Government of Haryana has referred the matter to the Government of India under the Punjab Re-organisation Act.

Medical Education in India

*723. SHRI MANGALATHUMADAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4806 on the 31st March, 1969 and state:

(a) whether the Report of Commission of Medical Education has been received;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether it is a fact that medical education is not given proper attention by Government in regard to medical research and equipments to medical colleges and curriculum;

(d) if so, the steps taken by Government to improve the position; and

(e) whether a body like the University Grants Commission has been thought of to attain better coordination of policies and research?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING; AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT : (SHRI K.K. SHAH) (a) and (b). The Medical Education Committee set up by the Central Government has made out its report which has been forwarded to the Medical Council of India for comments. The Committee would finalise the report after considering the comments of the Medical Council. The report will then be submitted to the Central Government for further action.

The Central Council of Health considered the report of the Committee in their last meeting held in November, 1969 and recommended that it should be placed before a conference of Ministers, Vice Chancellors, Officials and Experts for further consideration. Necessary action in this regard will be taken after the Report is received by the Government.

(c) and (d). Undergraduate medical education which includes provision of facilities for research and supply of equipment to Medical Colleges is the responsibility of the State Governments. The standards of Medical Education and curriculum of training are prescribed by the